Assistant Library & Information - New RRs

(ii) with six year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7). **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not exceed 56 years of age as on closing date of receipt of applications.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:- (1) Adviser, Directorate of Economics and Statistics –Chairman (2) Deputy Secretary(Economic Administration), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member (3) Chief Administrative Officer, Directorate of Economics and Statistics – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/7/2016-EA]

ABHIJIT CHAKRABORTY, Under Secy. (Economic Administration Division)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पदों के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 7 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं। **शैक्षिक अर्हताएं:** नहीं। किन्तु किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रु. 35400-112400) और उसी स्तर में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो और निर्धारित पुस्तकालय	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए):** 1. सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।